HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 672/2026

Rukshmani Kumari W/o Late Major Aditya Singh, Resident of Flat No. 505, Plot No. 16-A, Prabhuraj Apartment, Parivahan Marg, Vidhayak Puri, Jaipur City (South) Rajasthan.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.
2. The Station House Officer, Police Station Vidhayak Puri, Jaipur City (South), Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Dr. Vibhuti Bhushan Sharma, Adv. Ms. Suman Kalal, Adv. Ms. Anindya Gupta, Adv. Mr. Harshit Tiwari, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A. Mr. Manvendra Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

27/02/2026

1. याची–अभियुक्ता की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **26/2026**, पुलिस थाना– **विधायक पुरी**, जिला– **जयपुर शहर (दक्षिण)**, अपराध अंतर्गत धारा **3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 एवं धारा 329(3) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अचायीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाचीगण की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा वादग्रस्त परिसर में

किसी प्रकार का कोई नवीन निर्माण नहीं करवाया गया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो निर्माण करना बताया गया है वह पूर्व में भी बना हुआ था, उनका यह भी कथन है कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं थी, किन्तु पुलिस उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करने पर आमादा है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्ता अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, तब तक याची–अभियुक्ता को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्ता को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **13.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **26/2026** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्ता के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **तीन सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /51